(1)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(120)

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका क्रं. /2018
निगरानी-3791/2018/जबलपुर/भू.रा.

(597)

आवेदक – संजय गुप्ता पिता श्री बाला प्रसाद गुप्ता उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी कंचन विहार रोड, विजय नगर, जबलपुर जिला–जबलपुर म.प्र.

विरूद्ध

अनावेदक– प्रशांत सिंह पिता श्री राजाबहादुर सिंह निवासी– आराधना 1918, राईट टाऊन, जबलपुर (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन करता है कि

आवेदक नायब तहसीलदार खम्हरिया वृत्त जबलपुर के सीमांकन प्रकरण क्रं. 2/अ–12/15–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–07–2016 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

तथ्य – प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि :–

1– यह कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार वृत्त खम्हरिया के समक्ष ग्राम रिछाई, प.ह.नं. 57, रा.नि.मं.खम्हरिया तहसील जबलपुर की भूमि खसरा नंबर 278 रकवा 0.38 के सीमांकन हेतु बगैर दिनांक अंकित करते हुये आवेदन प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पर नायब तहसीलदार द्वारा सीमांकन किये जाने हेतु रा.नि.के लिए कोई आदेश प्रकरण में संलग्न नही है प्रकरण की आदेश पत्रिका में भी रा.नि.के लिये सीमांकन बाबत कोई आदेश नहीं है राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 12–01–16 को सीमांकन कर प्रतिवेदन नायब तहसीलदार वृत्त खम्हरिया को पेश किया गया जिस पर नायब तहसीलदार वृत्त खम्हरिया द्वारा प्रकरण क्रं. 2/अ–12/2015–16 कायम कर दिनांक 28–07–2016 को आदेश पत्रिका लिखी जाकर राजस्व निरीक्षक से सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होना अंकित कर प्रकरण नस्तीबद्व किया गया है ।

...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–3191/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/8/18	यह निगरानी नायव तहसीलदार खम्हरिया तहसील जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ–12/15–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28–7–2016 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल में दिनांक 28–5–2018 को प्रस्तुत की गई है। 2/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर एंव निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के कम में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 12–1–16 में तथा स्थल पर तैयार किये गये पंचनामा में अंकित है कि उन्होंने सीमांकन के पूर्व सीमांकित भूमि के मेढ़िया कृषकों को सूचना देकर सीमांकन कार्यवाही की है और जो मेढ़िया कृषक उपस्थित रहे हैं उनके समक्ष सीमांकन किया है। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 12–1–16 को मौके पर सीमांकन करके इसी दिन सीमांकन प्रतिवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है जबकि नायव तहसीलदार जबलपुर ने आदेश दिनांक 28–7–2016 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जब दिनांक 12–1–16 को हलका पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक ने स्थल पर जाकर उपस्थित मेढ़िया कृषकों के समक्ष सीमांकन किया है तब यह मानना संभव नहीं है कि आवेदक को ग्रामीण कृषक होते हुये सीमांकन की सूचना न मिली हो। आवेदक ने 12–1–16 से 28–7–16 की अवधि में नायव तहसीलदार के समक्ष पर्याप्त समय मिलने के वाद भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अनावेदक ग्राम रिछाई की आराजी कमांक 278 का अभिलिखित भूमिस्वामी है जिसके कारण वह स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने का अधिकारी है। यदि अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानता है तब वह स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी अवधिवाह्य होकर सारहीन होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	